

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी**  
**पीठासीन अधिकारी :- सत्य नारायण-I (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या :- 178/2022  
दायर दिनांक :- 02.09.2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2022/320  
निर्णय दिनांक :- 09.02.2026

1. सतार खां पुत्र हकीम खां जाति सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी

-वादी

**बनाम**

1. सफीयत खातू पत्नी मोहम्मदसरीफ सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
2. असरफ खातू पत्नी अजीज खां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
3. छोटूखां पुत्र गफूरखां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
4. जबारखां पुत्र हकीम खां फौत के कायम मुकाम
- 4/1 मदीना खातू पत्नी जबारखां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
- 4/2 अवेश पुत्र जबार खां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
- 4/3 ईकबाल पुत्र जबार खां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
- 4/2 व 4/3 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता मदीना खातू पत्नी जबार खां
5. दूरमोहम्मद पुत्र गफूरखां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
6. नाबालिक फारुक पुत्र अजीज खां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
7. बगसे खां पुत्र गफूरखां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
8. नाबालिग बसीनाखातू पुत्री अजीज खां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
9. मजीज खां पुत्र हकीम खां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
10. रफीकखां पुत्र हकीम खां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
11. नाबालिग वारिशा पुत्री अजीजखां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
12. सनूरों पत्नी गफूरखां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
13. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

-प्रतिवादी

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

- उपस्थित :-** 1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता वादी  
2. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रति.सं. 1  
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

**-:: निर्णय ::-**

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम खाजूसर पटवार क्षेत्र घंटियाली तहसील बाप में खसरा नम्बर 63 रकबा 4.7267 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 12 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 63 रकबा 4.7267 हैक्टेयर भूमि में वादी को 1/15 हिस्सा बंट में आता है। इसी अनुसार उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 की

*Carlye*

राजस्व अभिलेख में सामलाती दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 के मध्य बाई मीट्स एण्ड वाउण्डस बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 2 ता 13 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनकर ग्राम खाजूसर के खसरा नम्बर 63 रकबा 4.7267 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार घंटियाली द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अन्तिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की अक्षरशः पालना करते हुवे तैयार कर तहसीलदार, घंटियाली द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

#### क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार घंटियाली द्वारा राजस्व ग्राम खाजूसर के खसरा नम्बर 63 रकबा 4.7267 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 13 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	सतार खां पुत्र हकीम खां जाति सिन्धी सा. देह खातेदार	खाजूसर	63	0.3151 हैक्टेयर	बी-3
2	सफीयत खातू पत्नी मोहम्मद सरीफ जाति सिन्धी सा. देह खातेदार	खाजूसर	63	1.5755 हैक्टेयर	बी-3
3	छोटूखां 1/4, बगसेखां 1/4, दुरमोहम्मद 1/4 पि. गफुर खां, सनूरो पत्नी गफुर 1/4 जाति सिन्धी सा. देह खातेदार। रहन यूको बैंक शाखा घंटियाली सनूरो का हिस्सा।	खाजूसर	63	1.5756 हैक्टेयर	बी-3

*Saty*

4	मजीजखां 3151/12605, रफीक खां पि. हकीम खां 3151/12605, नाबालिग अवेश 1050/12605, ईकबाल पि. जबार खां 1050/12605 संरक्षक माता मदीना खातू, मदीना खातू पत्नी जबार खां 1051/12605, असरफ खातू पत्नी अजीज खां 788/12605 हि, नाबालिग फारुक पुत्र अजीज खां 788/12605 हि, नाबालिग बसीना खातू 788/12605 हि, नाबालिग वारिशा पुत्री अजीज खां 788/12605 हि. संरक्षक असरफ खातू जाति सिन्धी सा. देह खातेदार	खाजूसर	63	1.2605 हैक्टेयर	बी-3
---	---	--------	----	-----------------	------

तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 13 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Satyajog*  
 (सत्य नारायण-I, R.A.S.)  
 सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बाप (फलोदी)

## अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सत्य नारायण-I (आर.ए.एस.)

1. सतार खां पुत्र हकीम खां जाति सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी

-वादी

बनाम

1. सफीयत खातू पत्नी मोहम्मदसरीफ सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
2. असरफ खातू पत्नी अजीज खां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
3. छोटूखां पुत्र गफूरखां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
4. जबारखां पुत्र हकीम खां फौत के कायम मुकाम
- 4/1 मदीना खातू पत्नी जबारखां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
- 4/2 अवेश पुत्र जबार खां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
- 4/3 ईकबाल पुत्र जबार खां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी  
4/2 व 4/3 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता मदीना खातू पत्नी जबार खां
5. दूरमोहम्मद पुत्र गफूरखां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
6. नाबालिक फारुक पुत्र अजीज खां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
7. बगसे खां पुत्र गफूरखां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
8. नाबालिग बसीनाखातू पुत्री अजीज खां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
9. मजीज खां पुत्र हकीम खां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
10. रफीकखां पुत्र हकीम खां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
11. नाबालिग वारिशा पुत्री अजीजखां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
12. सनूरों पत्नी गफूरखां सिन्धी मुसलमान नि. खाजूसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
13. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

-प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 178/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण-I, पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सौलकी मिनजानिब मुदई व विजय तंवर मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम खाजूसर के खसरा नम्बर 63 रकबा 4.7267 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 13 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/ हैक्टेयर	किस्म
1	सतार खां पुत्र हकीम खां जाति सिन्धी सा. देह खातेदार	खाजूसर	63	0.3151 हैक्टेयर	बी-3
2	सफीयत खातू पत्नी मोहम्मद सरीफ जाति सिन्धी सा. देह खातेदार	खाजूसर	63	1.5755 हैक्टेयर	बी-3

Saty

3	छोटूखां 1/4, बगसेखां 1/4, दुरमोहम्मद 1/4 पि. गफुर खां, सनूरो पत्नी गफुर 1/4 जाति सिन्धी सा. देह खातेदार। रहन यूको बैंक शाखा घंटियाली सनूरो का हिस्सा।	खाजूसर	63	1.5756 हैक्टेयर	बी-3
4	मजीजखां 3151/12605, रफीक खां पि. हकीम खां 3151/12605, नाबालिग अवेश 1050/12605, ईकबाल पि. जबार खां 1050/12605 संरक्षक माता मदीना खातू, मदीना खातू पत्नी जबार खां 1051/12605, असरफ खातू पत्नी अजीज खां 788/12605 हि, नाबालिग फारुक पुत्र अजीज खां 788/12605 हि, नाबालिग बसीना खातू 788/12605 हि, नाबालिग वारिशा पुत्री अजीज खां 788/12605 हि. संरक्षक असरफ खातू जाति सिन्धी सा. देह खातेदार	खाजूसर	63	1.2605 हैक्टेयर	बी-3

तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 13 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.02.2026 को जारी की गई।

*Saty*  
(सत्य नारायण-I, R.A.S.)  
सहायक कलक्टर  
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।